न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0
राजस्व प्रा0 पत्र सं0 : 51/2019 (133/2014)
GCMS NO. : 2014/00016

–:: प्रार्थी ::–

1. हडमानसिंह पुत्र देवीसिंह
जाति–राजपूत निवासी रानीवाल
तहसील जैतारण जिला–पाली।

बनाम

–:: अप्रार्थीगण ::–

1. शिवराजसिंह पुत्र सुरजपालसिंह
2. सुरजपालसिंह पुत्र भंवरसिंह
जातियान राजपुत निवासी
आबाखेडी जिला भीलवाडा।
3. धापुकंवर पुत्री भंवरसिंह
जाति राजपुत निवासी गुडादेवडा
तहसील देसुरी जिला पाली।
4. हणुतराम पुत्र हरजीराम
5. गौरीदेवी पुत्र जालुराम
6. पुसाराम पुत्र हरजीराम
जातियान जाट निवासीगण
रानीवाल तहसील जैतारण जिला
पाली।
7. तहसीलदार, जैतारण।
8. उपपंजियन अधिकारी, जैतारण।
9. चन्द्रकी पत्नी सोमाराम
10. धर्माराम पुत्र हिराराम
जातियान जाट निवासीगण
रानीवाल तहसील जैतारण जिला
पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू: 23/09/2019

उपस्थितः. 1. श्री देवाराम कटारिया, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः 31/05/2022**

वकील मय प्रार्थी ने एक प्रार्थना–पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् इस आशय का पेश किया कि राजस्व मौजा ग्राम राणीवाल में सायल की व गैरसायल की कब्जे काश्त की कृषि भूमि खाता संख्या 2 खसरा नम्बर 416 रकबा 90–2 बीघा किस्म चाही दोयम, खाता संख्या 194 खसरा नम्बर 354 रकबा 2–6 बीघा किस्म गै.मु. रास्ता, खसरा नम्बर 414 रकबा 8 बिस्वा किस्म गै.मु. बेरा, खसरा नम्बर 415 रकबा 5–2 बीघा किस्म चाही दोयम, खाता संख्या 88 खसरा संख्या 355 रकबा 35–4 बीघा आई हुई है। उपरोक्त कृषि भूमि में साय[illegible] शामलाती कृषि भूमि है तथा गैरसायल/प्रतिवादी संख्या 4,5,6,8,13, [illegible] 17,18 व 19 ने जरिये रजिस्ट्री सायलान के परिवार से जमीन खरीद की [illegible]फक बेचाननामा अनुसार गैरसायलान

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.10.06 11:28:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली)

संख्या 1 से 3 का हिस्सा शुरू से खते की पीछे आता है जो कि जिनका गांव में कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। उक्त जमीन के मुख्य भू-भाग जो कि सायल के कब्जे में है लोगों के सिखावट में आकर बेचना चाहते है। यदि सायल के कब्जे काश्त की भूमि अपनी बताकर बेचान कर देता है तो सायल को असीम क्षति होगी। सायल ने दिनांक 14/07/2014 को साथ चलकर बंटवाडा करने का कहा तो बंटवाडा करने से मना कर दिया। गैरसायल संख्या 7 जो कि सायल की जायन्दा सन्तान थी लेकिन रामसिंह के गोद चला गया। प्रतिवादी संख्या 7 की गोद ग्रहिता की भी मृत्यु हो चुकी है तथा नाबालिग होने से सायल की देखरेख में ही है जिनकी भी भूमि गैरसायलान बैचान करना चाहते है जबकि उक्त भूमि माफिक हिस्से अनुसार वादी बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाडा करवाने का कानुनी अधिकारी है। इसलिए विरूद्ध गैरसायलान बाबत् बंटवाडा पेश है। गैरसायल संख्या 4 से 6 ने उक्त भूमि सायलान के परिवार से जरिये बेचाननामा खरीद की थी। लेकिन राजस्व अधिकारियों की गलती से माफिक बैचान अनुसार उनका हिस्सा दर्ज न होकर खरीद भूमि से ज्यादा हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गया जो भी सायल दुरूस्त करने का अधिकारी है। विरूद्ध गैरसायलान उक्त गलत रेकर्ड दुरूस्त की घोषणा का वाद श्रीमान् के समक्ष पेश है। जमाबंदी साथ पेश है। गैरसायल संख्या 1 से 3 जो कि बिना बंटवाडा किये यहॉ गांव में भी नहीं रहते है अपने बेचाननामा का फायदा उठाकर किसी अन्य को भूमि बैचान कर देते है तो सायल को असीम क्षति होगी। अतः श्रीमान् के समक्ष प्रा.पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश है। प्रथम दृष्टया मामला सायल के पक्ष में है तथा यदि उक्त भूमि बिना बंटवाडा किये बैचान कर दी जाती है तो सायल को असीम क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नहीं हो सकेगी तथा यदि गलत हिस्सा दर्ज है तो उसे सुधारे बिना पूरी जमीन यदि बैच दी जाती है तो सायल को असीम क्षति होगी तथा मौके पर सायल का कब्जा काश्त है। मुख्य फ्रन्ट की भूमि पर भी सायल का कब्जा है। अतः प्रार्थना-पत्र, शपथ-पत्र मय दस्तावेजात पेश कर निवेदन है कि राजस्व मौजा राणीवाल पटवार हल्का बैडकलां के खसरा नम्बर 416,354,414,415 व 355 को बैचान, बख्शीश, रहन, वसीयत व हस्तान्तरण आदि करने से जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के रोका जावें व वाद के निर्णय तक राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति रखवाई जाने का आदेश प्रदान करावें।

इस पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गैरसायलान को जरिये नोटिस के तलब किये गये। गैरसायल संख्या 1 को बाद सम्मन सूचना एवं बार-बार रूक-रूक कर आवाजें दिलाने के बाद भी न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। गैरसायलान संख्या 2 से 6 व 9, 10 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जो सा.मि. है।

गैरसायलान ने अपने जवाब प्रा.पत्र में कथन किया कि खसरा नम्बर 416, खसरा नम्बर 354, खसरा नम्बर 414, खसरा नम्बर 415 व खसरा नम्बर 355 की भूमि राजस्व मौजा रानी[illegible] में स्थित [illegible] कथन सही होने से स्वीकार है। लेकिन इस भूमि के बाबत् सायल ने अप[illegible] को [illegible] हक व हिस्सा नही दर्शाया है। बल्कि राजस्व रेकर्ड में दर्ज अनुसार [illegible]दारो ने [illegible] हक हिस्से की भूमि खातेदारो को बैचान की थी तथा माफिक [illegible] अनुसार ही क्रेतागण ने मौके पर कब्जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seervi
Date: 2022.10.06 11:28:05 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली)

प्राप्त किया है। इस प्रार्थना पत्र में वर्णित गैरसायल संख्या 01 से 19 के अलावा चन्द्रकी पत्नि सोमाराम जाट व धर्माराम पुत्र हीराराम जी जाट को भी इन खसरा नम्बरान की भूमियो का बैचान किया गया है एवं मोके पर उन क्रेतागण को भी माफिक बैचाननामा अनुसार कब्जा सौपा जा चुका है। इस प्रकार से इस प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बरान की भूमिया मौके पर वर्षो पूर्व से आपसी सहमति से अलग–अलग बंटी हुई है। माफिक हक हिस्से अनुसार ही पक्षकारो का मौके पर कब्जा व काश्त व हक अधिकार भी चला आ रहा था। सायल ने अपने इस प्रार्थना पत्र में झूठे तथ्य अंकित किये कि गैरसायल संख्या 01 से 03 का हिस्सा शुरू खेत के पीछे आता हो एवं गांव की तरफ इनका हिस्सा नही आता हो तथा सायल ने मुख्य भू भाग को अपना होना भी झूठा अंकित किया है। सायल जब स्वयं ही बंटवाड़ा का अनुतोष चाह रहा है तथा भूमि को संयुक्त व शामलाती होने के कथन कर रहा है तो वह अपनी मनमर्जी से किसी हिस्सेदार की भूमि आगे व किसी हिस्सेदार की भूमि पीछे होने बाबत कथन नही कर सकता है। मौका स्थिति अनुसार बंटवाड़ा का राजस्व रेकर्ड अंकन करवाने में भी जवाब देहन्दागण को कोई आपत्ति नही है लेकिन अब नये सिरे से बंटवाड़ा किये जाने की कोई आवश्यकता नही है सायल स्वयं अपने हक हिस्से की भूमि पर काबिज है इसलिये सायल को किसी प्रकार की कोई क्षति होने एवं वाद बाहुल्यता होने के कथन भी झूठे है। साथ ही विधिक प्राबधानो अनुसार कोई भी व्यक्ति अपनी खातेदारी भूमि के अलावा तृतीय पक्षकार की भूमि का कोई बैचन हस्तान्तरण भी नही कर सकता है। सायल ने प्रार्थना पत्र पेश करने की गरज से बंटवाड़ा से सम्बन्धित इस पद में झूठे आरोप लगाये है। सायल का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के होने से खारिज फरमावें। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 03 में वर्णित तथ्य पूर्णतया असत्य झूठे व बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। माफिक पंजीबद्ध बैचान विलेख के अनुसार ही इस वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में नामान्तरणकरण की कार्यवाही दर्ज हुई थी। सायल ने इस पद में अपने सहहिस्सेदारो के हिस्से गलत दर्ज होना झूठा अंकित किया है। गैरसायल संख्या 04 से 06 व दीगर क्रेतागण के पक्ष में माफिक हिस्से अनुसार बैचाननामा पंजीबद्ध हो जाने के बाद उन बैचाननामो के अस्तित्व में रहते हुये एवं पंजीबद्ध बैचाननामा की वैधानिकता की जांच बाबत् राजस्व न्यायालय को कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नही होने से इस सम्बन्ध में सायल घोषणा का अनुतोष प्राप्त करने का कतई अधिकारी नही है न ही रेकर्ड दुरूस्ती चाहने का अधिकारी ही है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 04 में वर्णित कथन असत्य झूठे व बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। सायल ने अपने प्रार्थना पत्र में यह कही भी अंकित नही किया कि किस विशिष्ट व्यक्ति का कितना हिस्सा व कितना रकबा दर्ज होना चाहिये इस बाबत् कोई उल्लेख प्रार्थना पत्र में नही है तब बिना हिस्सा बताये ही राजस्व रेकर्ड की प्रविष्टियो में गलत हिस्से दर्ज होने का सायल ने झूठा कथन किया है। उक्त तथ्यो के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 05 में वर्णित कथन कतई असत्य झूठे व बेबूनियाद है। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि पर सायल का कभी भी कोई कब्जा काश्त व हक अधिकार नही रहा था। न ही वर्तमान में है इसलिए समस्त तथ्यो व परिस्थितियो एवं दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्ट्या मामला व सुविधा का सन्तुलन सायल की बजाय जवाब देहन्दागण के पक्ष में है। इस प्रकरण में किसी भी प्रकार का स्थगन

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.10.06 11:28:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

जारी किया जाता है तो अपूरणीय क्षति भी जवाब देहन्दागण को होगी। गैरसायलान ने अपने जवाब प्रा.पत्र में अतिरिक्त कथन किये है कि वास्तविकता में भूमि के खातेदार भंवरसिंह जी ने अपने जीवनकाल में यानि वर्ष 2007 में इस प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि में से अपने नाम से दर्ज भूमियो का पंजीबद्ध दानपत्र अपनी पुत्रीयो नाथीकंवर व धापूकंवर को कर दिया है एवं इस दान पत्र के आधार पर नामान्तकरण की कार्यवाही भी नाथीकंवर व धापूकंवर के पक्ष में हो चुकी है इस प्रकार से यह स्वीकृतसुदा स्थिति है कि भंवरसिंह जी ने अपने हक हिस्से व नाम से दर्ज राजस्व भूमि का पंजीबद्ध दानपत्र निष्पादित करवा दिया है जिसकी सायल को भलिभांति जानकारी है। इसके बावजूद भी दानपत्र को किसी भी न्यायालय में चेलेन्ज नही किया गया है साथ ही गैरसायल संख्या 01 से 03 के नाम की प्रविष्ठी भी माफिक पंजीबद्ध दस्तावेजात के अनुसार हुई है। जिन्हे चेलेन्ज नही किया गया है। इसलिये सायल जरिये घोषणा बंटवाड़ा व अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र व दस्तोवजात पेश कर निवेदन है कि सायल की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के होने से खारिज फरमावें।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सुनी गई। हमनें विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा हस्तगत प्रकरण के सम्यक् न्याय निर्णयन में मार्गदर्शन प्राप्त किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन एवं विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन इस प्रकार है–

1. **प्रथम दृष्टया मामलाः–** प्रार्थी के वादपत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा ग्राम रानीवाल में स्थित खसरा संख्या 416, 354, 414, 415 व 355 के संबंध में वाद बाबत् घोषणा, बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53 व 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर दौराने विचारण अस्थाई निषेधाज्ञा की प्रार्थना की है। प्रार्थी द्वारा गैरसायल संख्या 4 से 6 के द्वारा उक्त भूमि सायलान के परिवार से खरीद करने व राजस्व रेकर्ड में माफिक बेचाननामा हिस्सा दर्ज न होकर खरीद भूमि से ज्यादा हिस्सा दर्ज होने के कथन किये है। हस्तगत प्रा.पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा कितना हिस्से के बेचान हुआ तथा कितना हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ उस संबंध में हस्तगत प्रा.पत्र में कहीं भी अंकित नहीं किया व न ही दौराने बहस उक्त स्थिति को स्पष्ट किया गया। प्रार्थी द्वारा यह भी अंकित नहीं किया है कि वादग्रस्त आराजी में उसका हिस्सा कितना है एवं कब्जा काश्त कहां है व न ही इस संबंध में काश्त संबंधी कोई खसरा गिरदावरी ही प्रस्तुत की है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के कथनों का खण्डन करते हुए यह कथन किया कि प्रार्थी द्वारा किस विशिष्ट व्यक्ति का कितना हिस्सा व कितना रकबा दर्ज होना चाहिए इस बाबत् कोई उल्लेख नहीं किया है तथा मनमर्जी से किस हिस्सेदार की आगे व किसी हिस्सेदार की भूमि पीछे होने के कथन किये है। अतः मूल वाद के अनुतोष के संबंध में गुणावगुण पर ... किये बिना हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों को स... नहीं किया है। अतः ऐसी स्थिति में

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika
Semwal
Date: 2022.10.06 11:28:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) अजमेर (शरी)

प्रार्थी यह साबित करने में पूर्णतया विफल रहे है कि किस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण उसके पक्ष में है। अतः यह बिंदू प्रार्थी के विरूद्ध स्थापित होता है।

2. **सुविधा का संतुलनः–** चूंकि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं हुआ। साथ ही प्रार्थी द्वारा स्वयं उक्त आराजी के संयुक्त खातेदारी भूमि होने के कथन किये है तथा संयुक्त खातेदारी भूमि के संबंध में प्रत्येक सह–खातेदार का अपने हिस्से तक सुविधा का संतुलन निहित होना माना जाता है। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई विश्वसनीय तथ्य एवं दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित होता हो कि वादग्रस्त आराजी के संबंध में सुविधा का संतुलन केवल प्रार्थी के पक्ष में ही निहित है। अतः यह बिन्दू भी प्रार्थी के विरूद्ध साबित होता है।

3. **अपूरणीय क्षतिः–** पूर्व विवेचित दोनों बिन्दू प्रार्थी के विरूद्ध साबित हुए है। साथ ही प्रार्थी द्वारा हस्तगत प्रा.पत्र में किसका कितना हिस्सा है के संबंध में स्पष्ट नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा जब यह ही स्पष्ट नहीं किया है कि उसका वादग्रस्त आराजी में कितने हिस्से पर हक–अधिकार निहित है तो उसे किस प्रकार अपूरणीय क्षति कारित होगी यह स्पष्ट नहीं होता है। साथ ही प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई विश्वसनीय तथ्य व दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित होता हो कि यदि उसके पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो उसे अपूरणीय क्षति कारित होगी। अतः यह बिंदू भी प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है।

उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण प्रार्थी/वादी के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने से अस्वीकार किया जाना विधिसंगत होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी/वादी अन्तर्गत धारा– 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने तथा सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक पाली)
जैतारण जिला–पाली (राज.)

निर्णय आज दिनॉक 31/05/2022 को खुले–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक पाली)
जैतारण जिला–पाली (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.10.06 11:28:05 IST
Reason: SelfAttested